

ताइपेई में भारत ताइपेई संघ
और
भारत में ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र
के बीच
द्विपक्षीय निवेश करार

उद्देशिका

ताइपेई में भारत ताइपेई संघ (“आईटीए”) और भारत में ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र (“टीईसीसी”) (इसमें इसके बाद वैयक्तिक रूप से “पक्षकार” या सामूहिक रूप से “पक्षकारगण” के रूप में उल्लिखित);

विदेशी निवेशों के संबंध में पक्षकारगण के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हुए;

इस बात को स्वीकार करते हुए कि एक पक्षकार के राज्य क्षेत्र के निवेशकों का निवेशों के दूसरे पक्षकारगण के राज्य क्षेत्र में संवर्धन और संरक्षण उनके बीच आर्थिक सहयोग के विकास और धारणीय विकास के संवर्धन के लिए आपसी रूप से लाभदायक व्यवसाय संबंधी कार्यकलाप के प्रोत्साहन के लिए उत्प्रेरक होगा; और अपने-अपने राज्य क्षेत्र में अपनी-अपनी विधि और नीतिगत उद्देश्यों के अनुसार निवेशों को विनियमित करने के लिए प्राधिकरणों के अधिकार की पुनःपुष्टि करते हुए;

निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

अध्याय। - प्रारंभिक

अनुच्छेद 1

परिभाषाएं

इस करार के प्रयोजनार्थ:

- 1.1 "गोपनीय सूचना"का अर्थ हैव्यावसायिक गोपनीय सूचना, उदाहरणार्थ गोपनीय वाणिज्यिक, वित्तीय अथवा तकनीकी सूचना जिसके परिणामस्वरूप विवादकारी पक्षकार को वास्तविक हानि अथवा लाभ हो सकता हो अथवा उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता हो और ऐसी सूचना जो विशेषाधिकृत हो अथवा पक्षकार के कानून के अंतर्गत प्रकटन से अन्यथा संरक्षित की गई हो;
- 1.2 "उद्यम" का अर्थ है:
 - (क) कोई विधिक निकाय जो उस राज्य क्षेत्र, जिसमें निवेश किया गया है, के कानून के अनुपालन में गठित, संगठित और प्रचालित किया जा रहा हो, इसमें कंपनी, निगम, सीमित देनदारी की भागीदारी अथवा संयुक्त उद्यम शामिल हैं; और
 - (ख) उस राज्यक्षेत्र, जिसमें निवेश किया गया है,के कानून के अनुसार स्थापित किसी ऐसे निकाय की शाखा जो वहां व्यावसायिक कार्यकलापों में लगी हो।
- 1.3 "निवेश"का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वामित्वाधीन या नियंत्रितऐसा उद्यम जो उस राज्य क्षेत्र, जिसमें निवेश किया गया है, के कानून के अनुसार निवेशक द्वारा सद्भावपूर्वक, , गठित, संगठित और प्रचालित किया जा रहा हो, इसमें उद्यम की आस्तियां भी शामिल हैं। इसमें निवेश की विशिष्टताएं भी होंगी जैसे कि पूंजी अथवा अन्य संसाधनों से संबंधित वचनबद्धता, निश्चित अवधि, लाभ या फायदे की संभावना, जोखिम का पूर्वानुमान और जिस पक्षकार के राज्यक्षेत्र में निवेश किया गया है, उसके विकास के लिए इसकी अहमियत। उद्यम में निम्नलिखित आस्तियां शामिल हो सकती हैं:
 - (क) उद्यम के अथवा किसी अन्य उद्यम में शेयर, स्टॉक अथवा इक्विटी लिखतों के अन्य रूप;
 - (ख) किसी अन्य उद्यम की ऋण लिखत अथवा प्रतिभूति;
 - (ग) किसी अन्य उद्यम का ऋण;
 - (i) जहां उद्यम, निवेशक की सम्बद्ध शाखा हो, अथवा
 - (ii) जहां ऋण की मूल परिपक्वता कम से कम तीन वर्ष हो;
 - (घ) लाइसेंस, परमिट, प्राधिकरण अथवा इसी प्रकार के अधिकार जो उस राज्य क्षेत्र, जिसमें निवेश किया गया है, के कानून के अनुसार प्रदान किए गए हों;

- (ड) दीर्घावधि स्वरूप की संविदाओं जैसे कि राज्य क्षेत्र के कानून के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने, उन्हें निकालने अथवा उन्हें विकसित करने, टर्नकी, निर्माण, प्रबंधन, उत्पादन, राजस्व-साझा करने सहित, संविदाओं द्वारा प्रदत्त अधिकार, अथवा
- (च) बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकारों के व्यापार से संबंधित तथ्यों (ट्रिप्स) के अनुच्छेद 1 में यथाप्रदत्त बौद्धिक संपदा, में बौद्धिक संपदा की उन समस्त श्रेणियों का उल्लेख है जो ट्रिप्स करार के भाग II के 7 के जरिए धारा 1 का विषय हैं; और
- (छ) चल अथवा अचल संपत्ति और संबंधित अधिकार;
- (ज) उद्यम के कोई अन्य हित जिनमें पर्याप्त आर्थिक कार्यकलाप शामिल हो और जिनमें से उद्यम को पर्याप्त वित्तीय मूल्य प्राप्त होता हो;

बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, अप्रत्यक्ष निवेश का अर्थ किसी ऐसे निवेश से है जिसे किसी निवेशक द्वारा किसी गैर-पक्षकार, जहां निवेशक द्वारा ऐसा कानूनी निकाय सारभूत रूप में प्रत्यक्ष रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रित हो, के कानूनी निकाय के जरिए किया गया हो।

बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए, निवेश में उद्यम की निम्नलिखित आस्तियां शामिल नहीं होंगी:

- (i) उद्यम के अथवा किसी अन्य उद्यम में पोर्टफोलियो निवेश; और अधिक निश्चितता के लिए, पोर्टफोलियो निवेशों को अर्थ पूंजीगत लिखतों के जरिए ऐसे निवेश से है यहां ऐसा निवेश सूचीबद्ध उद्यम के पूर्णतः न्यूनतम आधार पर पश्च निर्गम चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से कम हो या किसी सूचीबद्ध उद्यम की पूंजीगत लिखतों की प्रत्येक श्रृंखला के संदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत से कम हो;
- (ii) किसी प्राधिकरण या किसी प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित उद्यम द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां, अथवा किसी प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित उद्यम को दिए गए ऋण;
- (iii) जिस राज्यक्षेत्र में निवेश किया गया है, वहां उस उद्यम के बड़े पैमाने पर व्यावसायिक प्रचालनों को आरंभ किए जाने से पूर्व, उद्यम की स्वीकृति, स्थापना, अधिग्रहण अथवा विस्तार से संबंधित किए गए प्रचालन- पूर्व कोई व्यय;
- (iv) किसी राज्यक्षेत्र में दूसरे राज्य क्षेत्र में किसी उद्यम को किसी देशजात व्यक्ति अथवा किसी उद्यम द्वारा वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री के लिए केवल वाणिज्यिक संविदाओं से उत्पन्न धनराशि के दावे;
- (v) सद्भाव, ब्राण्ड मूल्य, बाजार शेयर अथवा इसी प्रकार के अमूर्त अधिकार;

- (vi) किसी वाणिज्यिक लेन-देन के संबंध में ऋण दिए जाने से ही उत्पन्न होने वाले धनराशि के दावे;
- (vii) किसी न्यायिक, प्रशासनिक अथवा माध्यस्थम कार्यवाही में मांगा गया अथवा प्राप्त आदेश या निर्णय;
- (viii) धनराशि का कोई अन्य दावा जिसमें इस करार में निवेश की परिभाषा में निर्धारित हित अथवा प्रचालनों का कोई रूप शामिल नहीं है।

1.4 **"निवेशक"** का अर्थ है शाखा अथवा प्रातिनिधिक कार्यालय से इतर, पक्षकार का कोई देशजात या न्यायिक व्यक्ति, जिसने दूसरे राज्य क्षेत्र में निवेश किया है; इस परिभाषा के प्रयोजनार्थ, **"न्यायिक व्यक्ति"** का अर्थ है:

- (क) ऐसा विधिक निकाय जो उस राज्य क्षेत्र के कानून के अंतर्गत गठित, संगठित और प्रचालित हो और जिसके उस राज्यक्षेत्र में पर्याप्त व्यावसायिक कार्यकलाप हों; अथवा
- (ख) ऐसा विधिक निकाय जो उस राज्य क्षेत्र के कानून के अंतर्गत गठित, संगठित और प्रचालित हो और जो उस राज्य क्षेत्र के देशजात व्यक्ति अथवा इसमें उप पैराग्राफ (क) में उल्लिखित विधिक निकाय के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन हो।

1.5 **"स्थानीय प्राधिकरण"** में (क) शहरी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण, नगर निगम निकाय अथवा ग्राम स्तर का निकाय; अथवा (ख) किसी शहरी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण, नगर निगम निकाय अथवा ग्राम स्तर के निकाय के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन कोई उद्यम शामिल है।

1.6 **"उपाय"** में ये शामिल होंगे - कानून, विनियम, नियम, प्रक्रिया, निर्णय, प्रशासनिक कार्रवाई, अपेक्षा अथवा परिपाटी।

1.7 **"निवेश पूर्व कार्यकलाप"** में ऐसे कार्यकलाप शामिल हैं जो निवेशक अथवा इसके उद्यम द्वारा उस राज्य क्षेत्र, जहां निवेश किया गया है, के कानून के अनुसार, निवेश की स्थापना से पूर्व किए गए हों। निवेशक अथवा उसके निवेश द्वारा विदेशी इक्विटी पर क्षेत्रीय सीमाओं के अनुपालन में और उस राज्य क्षेत्र, जहां विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश किया गया है, में किए गए निवेश के आगम से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत प्रयोज्य अन्य सीमाओं और शर्तों के अनुपालन में किए गए कार्यकलाप भी **निवेश-पूर्व कार्यकलाप** में शामिल होंगे।

1.8 **"क्षेत्रीय प्राधिकरण"** का अर्थ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर किसी प्राधिकरण से है किन्तु इसमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल नहीं होता है।

1.9 पक्षकारों के संबंध में **"राज्य-क्षेत्र"** के अर्थ में इसका सीमांतर्गत जल क्षेत्र और सीमांतर्गत जल क्षेत्र से आगे स्थित कोई ऐसा समुद्री क्षेत्र शामिल है जिस पर पक्षकारगण के संबंधित राज्य क्षेत्रों के प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय कानून और इसके प्रासंगिक कानूनों के अनुसार अधिकारिता का प्रयोग करते हैं।

- 1.10 "डब्ल्यूटीओ करार"का अर्थ है 15 अप्रैल, 1994 को मर्राकश में निष्पादित विश्व व्यापार संगठन स्थापित करने से संबंधित मर्राकश करार।
- 1.11 इस करार में शामिल अनुबंध, परन्तुक और पाद टिप्पणियां इस करार का अभिन्न अंग हैं और इन्हें इस करार में शामिल अन्य उपबंधों की तरह ही समान प्रभाव दिया जाना है।

अनुच्छेद 2 कार्यक्षेत्र और सामान्य उपबंध

- 2.1 यह करार उस राज्य क्षेत्र में, जिसमें निवेश किया गया है, अपने राज्य क्षेत्र में दूसरे पक्षकार के निवेशकों के निवेशों से संबंधित अपनाए गए अथवा अनुरक्षित उपायों पर लागू होगा, जो इस करार के प्रवृत्त होने की तारीख को विद्यमान थे अथवा उस तारीख के बाद स्थापित, अर्जित अथवा विस्तारित किए गए हों, और जिन्हें राज्य क्षेत्र में इसके कानून, विनियमों और नीतियों के अनुसार स्वीकृत किया गया हो।
- 2.2 इस करार के अध्याय-111 के उपबंधों के अध्यक्षीन, इस करार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी निवेश की स्थापना, अर्जन अथवा विस्तार से संबंधित किसी निवेश-पूर्व कार्यकलाप पर लागू होता हो अथवा किसी ऐसे निवेश-पूर्व कार्यकलाप से संबंधित किसी उपाय पर लागू होता हो, इनमें ऐसे उपाय के अंतर्गत निबंधन और शर्तें शामिल हैं जो ऐसे निवेशों के प्रबंधन, संचालन, प्रचालन, बिक्री अथवा अन्य व्यवस्था के संबंध में निवेश के बाद लागू होना जारी हों।
- 2.3 यह करार, इसके प्रवृत्त होने से पूर्व हुई घटनाओं से उत्पन्न दावों, अथवा किए गए दावों पर लागू नहीं होगा।
- 2.4 यह करार, निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:
- (क) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उठाया गया कोई कदम;
- (ख) कराधान से संबंधित कोई कानून या उपाय, इसमें कराधान संबंधी देनदारी को लागू करने के लिए किए गए उपाय भी शामिल हैं।
अधिक निश्चित जानकारी देने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उस राज्य क्षेत्र, जिसमें निवेश किया गया है, का प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि इस करार के अंतर्गत इसके दायित्वों के उल्लंघनस्वरूप किया गया कोई आचरण कराधान का विषय है, तो ऐसा निर्णय, भले ही वह माध्यस्थम कार्यवाहियों की शुरुआत से पहले अथवा बाद में किया गया हो, न्यायाधीन नहीं होगा और ऐसे निर्णय की समीक्षा के लिए यह किसी माध्यस्थम अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
- (ग) बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में प्रदान किए गए अनिवार्य लाइसेंसों का जारी किया जाना, अथवा बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन अथवा उन्हें सीमित करने अथवा रद्द करने पर, उसी हद तक जिस तक लाइसेंसों का जारी किया जाना, रद्द किया जाना, निरसन, सीमित किया जाना

अथवा सृजन, डब्ल्यूटीओ करार के अंतर्गत पक्षकारों के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप हो।

- (घ) किसी राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों द्वारा खरीद;
- (ङ) किसी राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी अथवा अनुदान;
- (च) राज्य क्षेत्र के प्रासंगिक निकाय अथवा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकार का प्रयोग करते हुए दी गई सेवाएं। इस उपबंध के प्रयोजनार्थ, सरकारी प्राधिकार का प्रयोग करते हुए दी गई सेवा का अर्थ है ऐसी कोई भी सेवा जो वाणिज्यिक आधार पर न दी गई हो।

अध्याय-11 : राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों के दायित्व

अनुच्छेद-3

निवेशों के साथ व्यवहार

- 3.1 निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों के साथ उस राज्य क्षेत्र, जिसमें निवेश किया गया है, के प्राधिकरणों द्वारा निम्नलिखित के जरिए ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेगा जो पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता हो:
 - (क) किसी न्यायिक अथवा प्रशासनिक कार्यवाही में न्याय न करना; अथवा
 - (ख) विधिवत प्रक्रिया का बुनियादी उल्लंघन; अथवा
 - (ग) अनुचित आधार, जैसे कि लिंग, नस्ल अथवा धार्मिक विश्वास के आधार पर स्पष्ट रूप से लक्षित भेद-भाव; अथवा
 - (घ) स्पष्ट रूप से दुर्व्यवहार जैसे कि जोर-जबरदस्ती करना, दबाव डालना और परेशान करना।
- 3.2 प्रत्येक राज्य क्षेत्र दूसरे राज्य क्षेत्रके निवेशों को तथा निवेशकों को उनके निवेशों के संबंध में अपने राज्यक्षेत्र में पूर्ण संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करेगा। अधिक निश्चितता के लिए, "पूर्ण संरक्षण और सुरक्षा" का अर्थ केवल दूसरे राज्य क्षेत्र के निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों को तथा निवेशकों की शारीरिक सुरक्षा से संबंधित पक्षकार के दायित्वों के संबंध में राज्य क्षेत्रों के प्राधिकरणों को लेकर ही है और इसका अर्थ किसी अन्य प्रकार के दायित्व से नहीं है।
- 3.3 कोई ऐसा विचार कि इस करार के किसी अन्य उपबंध अथवा किसी पृथक अंतर्राष्ट्रीय करार का उल्लंघन हुआ है, यह सिद्ध नहीं करता है कि इस अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ है।
- 3.4 इस अनुच्छेद के कथित उल्लंघन पर विचार करते हुए, माध्यस्थ अधिकरण इस बात को ध्यान में रखेगा कि क्या निवेशक अथवा, जैसा भी उपयुक्त हो, स्थानीय रूप से स्थापित उद्यम ने इस करार के अंतर्गत दावा शुरू करने से पहले समाधान ढूंढने के लिए देशीय न्यायालयों अथवा अधिकरणों के समक्ष कार्रवाई की थी या नहीं।

अनुच्छेद-4

भेदभाव न किया जाना

- 4.1 दूसरे राज्य क्षेत्र के निवेशकों द्वारा किए गए निवेश अथवा निवेशकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, जो समान परिस्थितियों में, इसके अपने निवेशकों को अथवा ऐसे निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों को, इसके राज्यक्षेत्र में निवेशों के प्रबंधन, संचालन, प्रचालन, बिक्री अथवा व्यवस्था के संबंध में किए गए व्यवहार से कम अनुकूल हो।
- 4.2 अनुच्छेद 4.1 के अंतर्गत पक्षकार द्वारा किया गया व्यवहार, क्षेत्रीय प्राधिकरण के संबंध में, ऐसा व्यवहार होगा जो, समान परिस्थितियों में, उस क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा, उस राज्य क्षेत्र जिसका वह एक भाग है, के निवेशकों, तथा निवेशकों के निवेशों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा।

अनुच्छेद-5

स्वामित्वहरण

- 5.1 दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी निवेशक के निवेश का प्रत्यक्षतः या ऐसे उपायों के जरिए राष्ट्रीयकरण, स्वामित्वहरण नहीं कर सकेगा जिनका प्रभाव राष्ट्रीयकरण अथवा स्वामित्वहरण (जिन्हें इसके बाद स्वामित्वहरण कहा गया है), के समकक्ष हो, सिवाय तब जब यह कानून की विधिवत प्रक्रिया के अनुसार जनहित में हो तथा पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिए जाने के प्रति हो। ऐसी क्षतिपूर्ति पर्याप्त होगी और स्वामित्वहरण से तत्काल पूर्व या स्वामित्वहरण के सार्वजनिक होने की तिथि से तुरंत पूर्व ("स्वामित्वहरण की तारीख"), जो भी पहले हो, स्वामित्वहरण निवेश के उचित बाजार मूल्य के समकक्ष होगी, और इस कारण कि आशयित स्वामित्वहरण का पता पहले चल गया था, मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाएगी। मूल्यांकन मापदंड में सतत प्रासंगिक मूल्य, वास्तविक संपत्ति के घोषित कर मूल्य सहित आस्ति मूल्य और उचित बाजार मूल्य, को निर्धारित करने के लिए, यथा उचित, अन्य मापदंड शामिल होंगे।
- 5.2 क्षतिपूर्ति का संदाय मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में किया जाएगा। क्षतिपूर्ति के संदाय पर ब्याज, जहां लागू हो, स्वामित्वहरण की तारीख से वास्तविक संदाय की तारीख तक वाणिज्यिक रूप से वाजिब साधारण ब्याज दर से प्रदत्त होगा। संदाय पर, क्षतिपूर्ति अनुच्छेद 6 [अंतरण] के अनुरूप मुक्त रूप से अंतरणीय होगी।
- 5.3 पक्षकार अपनी साझा की गई समक्ष की पुष्टि करते हैं कि:
 - क) स्वामित्वहरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकेगा:

- i). प्रत्यक्ष स्वामित्वहरण होता है, जब कोई निवेश हक या सीधी जब्ती के औपचारिक अंतरण के जरिए राष्ट्रीयकृत या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से स्वामित्वहरित हो गया है; और
 - ii). अप्रत्यक्ष स्वामित्वहरण होता है, यदि किसी राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणोंके किसी उपाय या उपायों की श्रृंखला का प्रत्यक्ष स्वामित्वहरण के समकक्ष प्रभाव हो, जिसमें यह हक या सीधी जब्ती के औपचारिक अंतरण के बिना, निवेशक को इसके निवेश की संपत्ति के मूलभूत गुणधर्मों से सारभूत रूप से या स्थायी रूप से वंचित करे, जिसमें इसके निवेश का प्रयोग करना, लाभ लेना और निपटान शामिल है।
- ख) इस बात का निर्धारण करने के लिए कि किसी उपाय या उपायों की श्रृंखला का प्रभाव स्वामित्वहरण के समकक्ष है या नहीं, मामला-दर-मामला, तथ्य आधारित पूछताछ अपेक्षित होगी, जिसमें निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:
- (i) उपाय या उपायों की श्रृंखला का आर्थिक प्रभाव, यद्यपि मात्र यह तथ्य कि किसी पक्षकार के किसी उपाय या उपायों की श्रृंखला का किसी निवेश के आर्थिक मूल्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव होगा, यह साबित नहीं करता है कि कोई अप्रत्यक्ष स्वामित्वहरण हुआ है;
 - (ii) राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों के किसी उपाय या उपायों की श्रृंखला की अवधि;
 - (iii) उपाय या उपायों की श्रृंखला के गुण, उल्लेखनीय रूप से उद्देश्य, संदर्भ और आशय; और
 - (iv) क्या राज्य क्षेत्रके प्राधिकरणों द्वारा किया गया कोई उपाय निवेशक से लिखित रूप में की गई पूर्व बाध्यकारी प्रतिबद्धता का संविदा, लाइसेंस या अन्य विधिक दस्तावेज द्वारा उल्लंघन करता है।
- 5.4 संदेह को दूर करने के लिए, राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों द्वारा अपनी वाणिज्यिक क्षमता में की गई कोई कार्रवाई स्वामित्वहरण या समरूप प्रभाव रखने वाला कोई अन्य उपाय नहीं होगा।
- 5.5 राज्य क्षेत्रके प्राधिकरणों द्वारा किए गए भेदभाव-रहित विनियामक उपाय या किसी राज्य क्षेत्र के न्यायिक निकायों द्वारा किए गए उपाय अथवा पंचाट जो नामनिर्दिष्ट हैं और जन-स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण जैसे विधिसंगत जनहित अथवा लोक प्रयोजन उद्देश्यों को संरक्षित करने के लिए लागू किए जाते हैं, इस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वामित्वहरण नहीं होंगे।
- 5.6 इस अनुच्छेद के किसी अभिकथित उल्लंघन पर विचार करते समय, कोई अधिकरण इस बात को ध्यान में रखेगा कि क्या निवेशक या, जैसा उपयुक्त हो, स्थानीय रूप से स्थापित किए गए उदयम ने, इस करार के अंतर्गत कोई दावा

करने से पूर्व, घरेलू न्यायालय या अधिकरणों के समक्ष उपचारों के लिए कार्रवाई की है।

अनुच्छेद-6 अंतरण

- 6.1 राज्य क्षेत्र की विधि के अध्यक्षीन, राज्यक्षेत्र में किसी निवेश से संबंधित अन्य दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी निवेशक की सभी निधियों के मुक्त रूप से और भेदभावरहित आधार पर अंतरण की अनुमति होगी। ऐसी निधियों में निम्नलिखित शामिल होंगे :
- (क) पूंजी में अंशदान;
 - (ख) लाभ, लाभांश, पूंजी लाभ और निवेश के सभी अथवा इसके किसी भाग की बिक्री से अथवा निवेश के आंशिक अथवा संपूर्ण परिसमापन से प्राप्त आय;
 - (ग) ब्याज, स्वत्व (रॉयल्टी) संदाय, प्रबंधन शुल्क और तकनीकी सहायता तथा अन्य शुल्क;
 - (घ) किसी ऋण करार सहित किसी संविदा के अंतर्गत किए गए संदाय;
 - (ङ) अनुच्छेद 5 (स्वामित्वहरण), अनुच्छेद 7 (हानियों की क्षतिपूर्ति) और अध्याय IV के अंतर्गत किए गए संदाय।
- 6.2 जब तक कि पक्षकारगण के बीच अन्यथा सहमति न हो, अनुच्छेद 6.1 के अंतर्गत मुद्रा अंतरण मूल निवेश की मुद्रा या किसी अन्य परिवर्तनीय मुद्रा में अनुमत होगा। ऐसा अंतरण, अंतरण की तारीख को मुद्रा विनिमय की प्रचलित बाजार दर पर किया जाएगा।
- 6.3 इस करार की कोई भी बात राज्य क्षेत्रके प्राधिकरणों को अपनी विधि के सद्भावपूर्ण प्रयोग के जरिए किसी अंतरण पर शर्त लगाने या रोकने से निषेध नहीं करेगी, जिसमें निम्नलिखित से संबंधित कार्रवाइयां भी शामिल होंगी:
- (क) दिवालियापन, शोधन अक्षमता या ऋणदाताओं के अधिकारों का संरक्षण;
 - (ख) न्यायिक, माध्यस्थम् या प्रशासनिक निर्णयों और पंचाटों का अनुपालन;
 - (ग) श्रम बाध्यताओं का अनुपालन;
 - (घ) वित्तीय रिपोर्टिंग या अंतरणों का अभिलेख रखना जब विधि प्रवर्तन या वित्तीय विनियामक प्राधिकरणों की सहायता करना आवश्यक हो;
 - (ङ) प्रतिभूतियों, वायदा, विकल्पों या व्युत्पन्नों में निर्गमन, कारोबार या लेन-देन;
 - (च) कराधान संबंधी विधि का अनुपालन;
 - (छ) आपराधिक या दांडिक अपराध और अपराध की अधिप्राप्तियों की वसूली;

- (ज) सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक निवर्तन या अनिवार्य बचत योजनाएं जिनमें भविष्य निधियां, सेवानिवृत्ति उपदान कार्यक्रम और कर्मचारी बीमा कार्यक्रम शामिल हैं;
- (झ) कर्मचारियों के पृथक्करण अधिकार;
- (ञ) पंजीकरण की अपेक्षा और किसी पक्षकार के सेंट्रल बैंक और अन्य प्रासंगिक प्राधिकरणों द्वारा अधिरोपित अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना; और
- (ट) आईटीए के मामले में, प्रारंभिक पूंजी निवेशों के लॉक-इन की अपेक्षाएं, भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में यथा उपबंधित, जहां लागू हों, बशर्ते, कोई नया उपाय जिसके लिए निवेशों हेतु लॉक-इन अवधि अपेक्षित हो, मौजूदा निवेशों पर लागू नहीं होंगी।

6.4 अनुच्छेद 6.1 और 6.2 के प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, राज्य क्षेत्र का कोई प्राधिकरण गंभीर भुगतान संतुलनकी कठिनाइयों या उसकी आशंका के मामले में अथवा ऐसे मामलों में जहां, अपवादात्मक परिस्थितियों में, पूंजी का लेन-देन बृहद आर्थिक प्रबंधन, विशेष रूप से मौद्रिक और मुद्रा विनिमय दर नीतियों के लिए गंभीर कठिनाइयों का कारण बने अथवा कारण बनने की आशंका व्यक्त करता हो, अंतरणों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा सकेगा।

अनुच्छेद 7 हानियों की क्षतिपूर्ति

एक राज्य क्षेत्र के निवेशकों के ऐसे निवेशों को दूसरे राज्यक्षेत्र में युद्ध या अन्य सशस्त्रसंघर्ष, गृह उपद्रवों अथवा राष्ट्रीय आपातस्थिति के कारण हुई हानियों के संबंध में, जहां तक प्रत्यास्थापन, क्षतिपूरण, मुआवजे या अन्य निपटान का संबंध है, ऐसा व्यवहार किया जाएगा जो उस व्यवहार से किसी भी तरह कम अनुकूल नहीं होगा जिसे बाद वाले राज्य क्षेत्र के प्राधिकरण अपने स्वयं के निवेशकों अथवा किसी पक्षकार-भिन्न राज्य क्षेत्र के निवेशकों के साथ करेंगे। परिणामी संदाय मुक्त रूप से अंतरणीय होंगे।

अनुच्छेद 8 प्रत्यासन

- 8.1 यदि किसी राज्य क्षेत्र का कोई प्राधिकरण या इसका नामनिर्दिष्ट अभिकरण अपने किसी निवेशक को किसी गारंटी या किसी निवेश के संबंध में इसके द्वारा की गई बीमा संविदा के अंतर्गत संदाय करता है, तो दूसरे राज्य क्षेत्र में निवेशक द्वारा धारित किसी अधिकार या हक के प्रत्यासन की वैधता को ऐसे प्राधिकरण या अभिकरण के पक्ष में मान्यता दी जाएगी।
- 8.2 किसी राज्य क्षेत्र का कोई प्राधिकरण या इसका नामनिर्दिष्ट अभिकरण जिसने इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुरूप किसी निवेशक के अधिकारों का प्रत्यासन किया है, सभी परिस्थितियों में ऐसे सभी अधिकारों का हकदार होगा, जो निवेशक

के पास निवेश के संबंध में हैं। पक्षकार या उसके किसी अभिकरण द्वारा प्राधिकृत किए जाने के मामले में, ऐसे अधिकारों का प्रयोग उक्त प्राधिकरण या इसके लिए उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अभिकरण, अथवा प्राधिकृत निवेशक द्वारा किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 9 कार्मिकों का प्रवेश और अवस्थान

राज्य क्षेत्रों में गैर-नागरिकों के प्रवेश और अवस्थान से संबंधित विधियों के अध्यक्षीन और आपसी आधार पर, राज्य क्षेत्रका प्राधिकरण निवेश से सहबद्ध कार्यकलापों में लगे रहने के प्रयोजन से अपने राज्यक्षेत्र में निवेशक या स्थानीय रूप से स्थापित उद्यम द्वारा नियोजित दूसरे राज्य क्षेत्र के प्राकृतिक व्यक्तियों के प्रवेश और रहने को अनुमत करेगा।

अनुच्छेद 10 पारदर्शिता

- 10.1 प्रत्येक पक्षकार, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करेगा कि इसकी विधियां, विनियमन, प्रक्रियाएं और इस करार में शामिल किए गए किसी विषय के संबंध में साधारण प्रयोग किए जाने वाले प्रशासनिक विनिर्णय शीघ्र प्रकाशित किए जाएं या अन्यथा ऐसे तरीके से उपलब्ध कराए जाएं ताकि इच्छुक व्यक्ति और अन्य पक्षकार उनसे अवगत होने में समर्थ हो सकें।
- 10.2 प्रत्येक पक्षकार अपने राज्य क्षेत्र में अपनी विधियों और विनियमों में यथाउपबंध किए गए अनुसार:
 - (क) किसी ऐसे उपाय को प्रकाशित करेगा जिसे यह अंगीकार करने का प्रस्ताव करता है; और
 - (ख) इच्छुक व्यक्तियों तथा अन्य पक्षकार को ऐसे प्रस्तावित उपायों पर टिप्पणियां करने के उचित अवसर प्रदान करेगा।
- 10.3 प्रत्येक पक्षकार, अन्य पक्षकार के अनुरोध पर, विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर शीघ्र देगा और अनुच्छेद 10.1 में संदर्भित मामलों के संबंध में अन्य पक्षकार को सूचना प्रदान करेगा।
- 10.4 इस करार की किसी भी बात के लिए, किसी पक्षकार को ऐसी कोई गुप्त सूचना प्रदान करना या इसकी प्राप्ति को अनुमत करना अपेक्षित नहीं होगा, जिसके

प्रकटन से विधि प्रवर्तन में अवरोध आए, या जो अन्यथा लोक हित के विरुद्ध हो या विशिष्ट, सरकारी या निजी, विधिक व्यक्तियों के विधिसंगत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले।

अध्याय III – निवेशक संबंधी बाध्यताएं

अनुच्छेद-11

विधियों का अनुपालन

पक्षकार अभिपुष्टि करते हैं और मान्यता देते हैं कि:

- (क) निवेशक और उनके निवेश, निवेशों की स्थापना, अर्जन, प्रबंधन, प्रचालन और व्ययन से संबंधित किसी पक्षकार के राज्य क्षेत्र की सभी विधियों, विनियमों, प्रक्रियाओं और प्रशासनिक दिशानिर्देशों और नीतियों का अनुपालन करेंगे।
- (ख) निवेशक और उनके निवेश, किसी निवेश की स्थापना से पूर्व या पश्च, किसी सरकारी कार्य को करने या प्रविरत करने अथवा अन्य अनुचित लाभ हासिल करने या बनाए रखने के लिए किसी उत्प्रेरणा या इनाम के रूप में किसी सरकारी कर्मचारी या किसी पक्षकार के राज्य क्षेत्र के कार्मिक को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई अनुचित मौद्रिक लाभ, पारितोषिक अथवा उपहार, जो भी हो, का प्रस्ताव, वायदा या प्रदान नहीं करेंगे और न ही ऐसे कार्य करने के लिए उद्दीप्त, सहायता, उत्तेजित अथवा षड्यंत्र करने का सह-अपराध करेंगे।
- (ग) निवेशक और उनके निवेश अपनी कर देयताओं के समयबद्ध संदाय सहित, कराधान के संबंध में पक्षकारों की विधि के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।
- (घ) कोई भी निवेशक प्रश्नगत निवेश और निवेशक के कारपोरेट इतिहास और परिपाटियों के संबंध में, उस निवेश के संबंध में निर्णय लेने के प्रयोजनों या केवल सांख्यिकी प्रयोजनों के लिए, राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों को यथा अपेक्षित सूचना देगा।

अनुच्छेद-12

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

प्रत्येक राज्यक्षेत्र के भीतर कार्यरत निवेशक और उनके उद्यम अपनी परिपाटियों तथा आंतरिक नीतियों, जैसेकि सैद्धांतिक वक्तव्य, जो राज्य क्षेत्रों के प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित अथवा समर्थन प्राप्त हों, में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त मानकों को स्वैच्छिक आधार पर शामिल करने का प्रयास करेंगे। इन सिद्धांतों से श्रम, पर्यावरण, मानवाधिकार, सामुदायिक संबंधों और भ्रष्टाचार-रोध जैसे मुद्दों का समाधान किया जा सकेगा।

अध्याय-IV
निवेश से संबंधित विवादों का निपटान

अनुच्छेद-13
कार्यक्षेत्र और परिभाषाएं

- 13.1 अध्याय V के अंतर्गत राज्य क्षेत्रों के प्राधिकारियों के अधिकारों और बाध्यताओं पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, यह अध्याय किसी निवेशक और दूसरे राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों के बीच विवादों के निपटान के लिए तंत्र की स्थापना करता है।
- 13.2 यह अध्याय केवल राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों और दूसरे राज्य क्षेत्र के किसी निवेशक के बीच इसके निवेश के संबंध में, इस करार के अनुच्छेद 9 [कार्मिकों की प्रविष्टि और अवस्थान] और अनुच्छेद 10 [पारदर्शिता] के अंतर्गत बाध्यताओं को छोड़कर, इस करार के अध्याय II के अंतर्गत राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों की किसी बाध्यता के अभिकथित उल्लंघन से उद्भूत किसी विवाद पर लागू होगा।
- 13.3 इस अध्याय के अंतर्गत स्थापित माध्यस्थ अधिकरण केवल, इस करार के अनुच्छेद 9 [कार्मिकों की प्रविष्टि और अवस्थान] और अनुच्छेद 10 [पारदर्शिता] के अलावा, अध्याय II में यथा-वर्णित इस करार के उल्लंघन के संबंध में दावों का निर्णय करेगा न कि मात्र राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों तथा किसी निवेशक के बीच किसी संविदा के अभिकथित उल्लंघन से उद्भूत विवादों का निर्णय करेगा। ऐसे विवादों का समाधान केवल घरेलू न्यायालयों द्वारा या प्रासंगिक संविदा में दिए गए विवाद समाधान उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- 13.4 कोई भी निवेशक इस अध्याय के अंतर्गत माध्यस्थ को दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा, यदि निवेशक कपटपूर्ण दुर्यपदेशन, छुपाकर, भ्रष्टाचार, धन शोधन या प्रक्रिया के किसी दुरुपयोग की कोटि में आने वाले आचरण अथवा समरूप गैर-कानूनी तंत्रों के जरिए किया गया हो।
- 13.5 इसके क्षेत्राधिकार संबंधी अन्य सीमाओं के अतिरिक्त, इस अध्याय के अंतर्गत स्थापित किसी माध्यस्थ अधिकरण का क्षेत्राधिकार निम्नलिखित पर नहीं होगा :
- (क) राज्य क्षेत्र के किसी न्यायिक प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निर्णय के गुणावगुण की समीक्षा; या

(ख) ऐसा कोई दावा स्वीकार करना, जो अध्याय V के अंतर्गत किसी माध्यस्थम के अध्यक्षीन हो या रहा हो।

13.6 किसी निवेशक और राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों के बीच कोई विवाद इस अध्याय के अनुरूप क्रमबद्ध रूप से चलेगा।

13.7 इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए :

- (क) "प्रतिवादी पक्षकार" से राज्य क्षेत्र के ऐसे प्राधिकारी अभिप्रेत हैं जिनके विरुद्ध इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई दावा किया गया है।
- (ख) "विवादकारी पक्षकार" से कोई प्रतिवादी पक्षकार या कोई विवादकारी निवेशक अभिप्रेत है।
- (ग) "विवादकारी पक्षकारगण" से कोई विवादकारी निवेशक और कोई प्रतिवादी पक्षकार अभिप्रेत है।
- (घ) "विवादकारी निवेशक" से राज्य क्षेत्र का कोई ऐसा निवेशक से अभिप्रेत है जो इस अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी ओर से दूसरे राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों के विरुद्ध कोई दावा करता है तथा जहां प्रासंगिक हो, किसी राज्य क्षेत्र का ऐसा कोई निवेशक शामिल है जो स्थानीय रूप से स्थापित उद्यम की ओर से कोई दावा करता है।
- (ङ) "गैर-विवादकारी पक्षकार" से इस करार से संबंधित राज्य क्षेत्र के ऐसे प्राधिकारी अभिप्रेत हैं जो इस करार के अध्याय IV के अंतर्गत विवाद में कोई पक्षकार नहीं है।
- (च) "यूएनसीआईटीआरएएल आर्बिट्रेशन रूल्स" से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि से संबंधित संयुक्त राष्ट्र आयोग के माध्यस्थम नियम अभिप्रेत हैं।
- (छ) "न्यूयार्क अभिसमय" से विदेशी माध्यस्थम संबंधी पंचाटों की मान्यता और प्रवर्तन पर 10 जून, 1958 को न्यूयार्क में किया गया संयुक्त राष्ट्र अभिसमय अभिप्रेत है।
- (ज) "आईसीसी आर्बिट्रेशन रूल्स" से इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यस्थम नियम, 1 जनवरी, 2012 से प्रवृत्त और तत्पश्चात संशोधित, अभिप्रेत हैं।

अनुच्छेद 14

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय करारों के तहत कार्यवाहियां

जहां दावों को इस अध्याय और अन्य अंतरराष्ट्रीय करार के अनुसरण में लाया जाता है और :

- (क) अतिव्यापी क्षतिपूर्ति की संभावना रहती है; या
 - (ख) अन्य अंतरराष्ट्रीय दावे का इस अध्याय के अनुसरण में लाए गए दावे के समाधान पर गंभीर असर पड़ सकता है;
- इस अध्याय के तहत गठित माध्यस्थ अधिकरण विवादकारी पक्षकारों को सुनने के बाद यथाशीघ्र अपनी कार्यवाहियां स्थगित करेगा या अन्यथा

यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य अंतरराष्ट्रीय करार के अनुसरण में की गई कार्यवाहियों का इसके निर्णय, आदेश या पंचाट में ध्यान रखा जाता है।

अनुच्छेद 15

माध्यस्थम हेतु दावे की प्रस्तुति के लिए पूर्ववर्ती शर्तें

- 15.1 ऐसे दावे कि प्रतिवादी पक्षकार ने अध्याय-II के तहत, अनुच्छेद 9[कार्मिकों की प्रविष्टि और अवस्थान]और अनुच्छेद 10[पारदर्शिता] के तहत किसी बाध्यता से भिन्न बाध्यता का उल्लंघन किया है, के मामले में विवादकारी निवेशक प्रतिवादी पक्षकार को परामर्श और वार्ताओं के लिए लिखित अनुरोध ("लिखित अनुरोध") संप्रेषित करके इस अध्याय के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा।
- 15.2 लिखित अनुरोध में विवादकारी निवेशक या उद्यम, जहां लागू हो, का नाम-पता विनिर्दिष्ट होगा; मुद्दे के उपायों सहित दावे के तथ्यपरक आधार को स्पष्ट किया जाएगा; अभिकथित करार भंगसे संबंधित उपबंध और अन्य संगत उपबंध विनिर्दिष्ट किए जाएंगे; प्रार्थित राहत और दावा किए गए हर्जाने के लिए समुचित धनराशि विनिर्दिष्ट की जाएगी; और यह प्रमाणित कर रहा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा कि विवादकारी निवेशक अन्य पक्षकार के राज्य क्षेत्र का निवेशक है।
- 15.3 लिखित अनुरोध की प्राप्ति के बाद छः (6) महीने के अंदर विवादकारी पक्षकार सार्थक परामर्श, वार्ता या अन्य तृतीय पक्षकार की कार्यप्रणाली के जरिए सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद के समाधान की कोशिश के बेहतरीन प्रयत्न करेंगे। ऐसे सभी मामलों में इस प्रकार की वार्ता, परामर्श या समाधान का स्थान वह राज्य क्षेत्र होगा जिसमें निवेश किया गया है।
- 15.4 यदि विवादकारी पक्षकारगण विवाद का सौहार्दपूर्वक समाधान नहीं कर सकते हैं तो विवादकारी निवेशक इस करार के अनुसरण में माध्यस्थम हेतु कोई दावा तभी प्रस्तुत करेगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं :

- (क) किसी विवादकारी निवेशक को उसी उपाय या समान तथ्यगत मामलों, जिनके संबंध में इस करार के उल्लंघन का दावा किया गया है, के संबंध में घरेलू राहतें प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अपना दावा उस राज्य क्षेत्र, जिसमें निवेश किया गया है, में प्रासंगिक घरेलू न्यायालयों या प्रशासनिक निकायों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। उपर्युक्त प्रासंगिक घरेलू न्यायालयों या प्रशासनिक निकायों के समक्ष ऐसा दावा उस तारीख से एक(1) वर्ष और छः(6) माह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसको निवेशक को पहली बार प्रश्नगत उपाय की जानकारी प्राप्त हुई हो और इस बात का पता चला हो कि इसके परिणामस्वरूप निवेश और इसके निवेश के संबंध में निवेशक को हानि या नुकसान हुआ था।

और अधिक निश्चितता के लिए, स्थानीय राहतों को आजमाने के संबंध में बाध्यता का अनुपालन प्रदर्शित करने में, निवेशक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय राहतों को आजमाने की बाध्यता लागू नहीं होती है या इस आधार पर पूरी कर ली गई है कि इस करार के तहत दावा किसी भिन्न पक्षकार या भिन्न कार्रवाई के उद्देश्य के संबंध में है।

परंतु, यह कि तथापि, स्थानीय राहतों को आजमाने की अपेक्षा लागू नहीं होगी यदि निवेशक या स्थानीय रूप से स्थापित उद्यम यह प्रदर्शित करता है कि उपलब्ध कोई भी घरेलू कानूनी राहत उसी उपाय या उसी प्रकार के तथ्यगत मामलों, जिनके संबंध में निवेशक द्वारा इस करार के उल्लंघन का दावा किया गया है, के संबंध में उचित रूप से कोई राहत प्रदान करने में समर्थ नहीं है।

- (ख) जहां लागू हो, यदि, दावे के संबंध में अंतर्निहित उपाय से संबंधित सभी न्यायिक और प्रशासनिक उपचारों को उस तारीख, जिसको निवेशक को पहली बार प्रश्नगत उपाय की जानकारी प्राप्त हुई हो, से कम से कम चार(4) वर्ष की अवधि तक आजमाने के बाद निवेशक को कोई संतोषप्रद समाधान प्राप्त न हुआ हो।
- (ग) उस तारीख से पांच(5) वर्ष और छः(6) माह से अधिक समय व्यतीत न हुआ हो जिसको विवादकारी निवेशक को पहली बार प्रश्नगत उपाय की जानकारी प्राप्त हुई हो और इस बात का पता चला हो कि इसके परिणामस्वरूप विवादकारी निवेशक को अपने निवेश के संबंध में हानि या नुकसान हुआ था।
- (घ) जहां लागू हो, उप-पैराग्राफ (ख) के अनुसरण में घरेलू कार्यवाहियों के निष्कर्ष से बारह(12) माह से अधिक की अवधि व्यतीत न हुई हो।
- (ङ) विवादकारी निवेशक या स्थानीय रूप से स्थापित उद्यम ने किसी पक्षकार के राज्य क्षेत्र के कानून, या अन्य विवाद समाधान क्रियाविधि के तहत, अनुच्छेद 13.2 में उल्लिखित करार भंग के आरोपी प्रतिवादी पक्षकार को साधने की किसी प्रशासनिक अधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही को शुरू करने या उसे जारी रखने का अपना अधिकार छोड़ दिया हो।
- (च) अप्रत्यक्ष निवेश के मामले में, कोई विवादकारी निवेशक अध्याय IV के तहत कोई दावा तभी कर सकेगा, यदि विवादकारी निवेशक और किसी दूसरे राज्य क्षेत्र का विधिक निकाय जिसके जरिए निवेश किया गया है, दोनों प्रतिवादी पक्षकार, जो अनुच्छेद 13.2 के संदर्भ में उल्लंघन का आरोपी है, के उपाय, किसी दूसरे निवेश करार सहित, के संबंध में किसी कार्यवाही को शुरू करने या जारी रखने के अपने अधिकार का अधित्याग कर दें। विवादकारी निवेशक और किसी दूसरे राज्य क्षेत्र के विधिक निकाय, जिसके जरिए

निवेश किया गया है, ऐसे अधित्याग विवादकारी पक्षकार को लिखित में उपलब्ध कराएगा।

- (छ) अप्रत्यक्ष निवेश के मामले में, इस अध्याय के तहत कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा यदि विवादकारी निवेशक या किसी दूसरे राज्य क्षेत्र का विधिक निकाय, जिसके जरिए निवेश किया गया है, किसी कार्यवाही, किसी अन्य निवेश करार के अधीन सहित, के अधीन उसी उपाय या उपायों की श्रृंखलाओं के संबंध में दावा प्रस्तुत करता है या कर चुका हो।
- (ज) जहां विवादकारी निवेशक द्वारा प्रस्तुत दावा अन्य पक्षकार अर्थात् ऐसे न्यायिक व्यक्ति के राज्य क्षेत्र, जो विवादकारी निवेशक के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो, के उद्यम में किसी हित के नुकसान या हर्जाने से संबंधित हो, वहां उस उद्यम ने किसी पक्षकार के विधान या अन्य विवाद समाधान क्रियाविधि के तहत किसी प्रशासनिक अधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही को अनुच्छेद 13.2 में उल्लिखित करार भंग के आरोपी प्रतिवादी पक्षकार को साधने की कार्यवाही शुरू करने या उसे जारी रखने का अपना अधिकार छोड़ दिया हो।
- (झ) माध्यस्थम के लिए कोई दावा प्रस्तुत करने से कम से कम 90 दिन पूर्व विवादकारी निवेशक ने प्रतिवादी पक्षकार को माध्यस्थम हेतु दावा ("**माध्यस्थम का नोटिस**") प्रस्तुत करने का अपना आशय लिखित नोटिस के रूप में प्रेषित कर दिया हो। माध्यस्थम के नोटिस में :
- (i) प्रतिवादी पक्षकार को लिखित अनुरोध और इसके संप्रेषण के ब्यौरे सहित प्रेषण का अभिलेख संलग्न होगा;
- (ii) विवादकारी निवेशक द्वारा या जहां लागू हो, वहां स्थानीय स्तर पर स्थापित उद्यम द्वारा इस करार में उल्लिखित क्रियाविधि के अनुसार माध्यस्थम की सहमति वर्णित होगी।
- (iii) अनुच्छेद 15.4 (ड),(च),(छ)या (ज) के अधीन यथा अपेक्षित, जहां लागू हो, अधित्याग का वर्णन होगा; बशर्ते कि अनुच्छेद अनुच्छेद 15.4 (ड), (च), (छ)या (ज)के अधीन उद्यम से अधित्याग तभी अपेक्षित नहीं होगा जब प्रतिवादी पक्षकार ने विवादकारी निवेशक को किसी उद्यम के नियंत्रण से वंचित कर दिया हो;
- (iv) विवादकारी निवेशक द्वारा नियुक्त माध्यस्थ का नाम विनिर्दिष्ट होगा।

अनुच्छेद 16
माध्यस्थम हेतु दावे की प्रस्तुति

- 16.1 अनुच्छेद 15 [माध्यस्थम हेतु दावे की प्रस्तुति के लिए पूर्ववर्ती शर्तों]में वर्णित पूर्व शर्तों को पूरा करने वाला विवादकारी निवेशक माध्यस्थम हेतु दावे को निम्नलिखित को प्रस्तुत कर सकेगा :
- क) अन्साइट्रल आर्बिट्रेशन रूल्स; या
ख) कोई अन्य माध्यस्थम नियमावली, आईसीसी आर्बिट्रेशन रूल्स सहित, यदि विवादकारी पक्षकारगण आपस में सहमत हों।
- 16.2 प्रयोज्य माध्यस्थम नियमावली इस अध्याय द्वारा संशोधित सीमा तक, और पक्षकारों द्वारा अंगीकृत किन्हीं अनुवर्ती नियमों द्वारा अनुपूरित अंश को छोड़कर, माध्यस्थम को अभिशासित करेगी।
- 16.3 इस अध्याय के तहत माध्यस्थम के लिए दावा प्रस्तुत किया जाता है जब अन्साइट्रल माध्यस्थम नियमावली के तहत दिया गया माध्यस्थम नोटिस प्रतिवादी पक्षकार को प्राप्त होता है।
- 16.4 किसी पक्षकार को नोटिस और अन्य प्रलेख की सुपुर्दगी प्रत्येक पक्षकार के पदनामित प्रतिनिधि को की जाएगी।

अनुच्छेद 17
माध्यस्थों की नियुक्ति

- 17.1 माध्यस्थ अधिकरण में सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय निवेश विधि अथवा अंतरराष्ट्रीय व्यापार अथवा अंतरराष्ट्रीय निवेश करारों के तहत उत्पन्न विवादों के समाधान में संबंधित सुविज्ञता या अनुभव रखने वाले तीन माध्यस्थ शामिल होंगे। वे स्वतंत्र होंगे और व्यापार और निवेश मामलों में किसी विवादकारी पक्षकार या पक्षकार के राज्य क्षेत्र के प्राधिकरणों से संबद्ध नहीं होंगे या हिदायत नहीं लेंगे। माध्यस्थगण, विवाद संबंधी मसलों पर किसी संगठन, सरकार, राज्य क्षेत्रों के प्राधिकरणों या विवादकारी पक्षकार से हिदायत नहीं लेंगे।
- 17.2 प्रत्येक विवादकारी पक्षकार द्वारा एक माध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा और तीसरा माध्यस्थ(पीठासीन माध्यस्थ) सह-माध्यस्थों और विवादकारी पक्षकारों की सहमति से नियुक्त किया जाएगा।
- 17.3 यदि इस अनुच्छेद के तहत माध्यस्थम हेतु दावे की प्रस्तुति की तिथि से एक सौ बीस (120) दिनों के अंदर माध्यस्थ अधिकरण गठित नहीं किया जाता तो इस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति प्राधिकारी स्थाई माध्यस्थ न्यायालय का महासचिव होगा।

17.4 नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेक से और विवादकारी पक्षकारों से परामर्श करके, अभी तक अनियुक्त माध्यस्थ या माध्यस्थों की नियुक्ति करेगा।

अनुच्छेद 18

माध्यस्थों के हित संघर्ष की रोकथाम और चुनौतियां

18.1 इस करार के तहत विवाद समाधान के लिए नियुक्त प्रत्येक माध्यस्थ समग्र माध्यस्थम कार्यवाही के दौरान वास्तविक या संभावित हित संघर्ष में निष्पक्ष, स्वतंत्र और तटस्थ रहेगा।

18.2 नामित किए जाने और यदि नियुक्ति की जाती है तो प्रत्येक मध्यस्थ सतत आधार पर लिखित रूप में ऐसी परिस्थितियों का खुलासा करेगा जो विवादकारी पक्षकारों की नजर में उसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता या हित टकराव से मुक्त होने में संदेह उत्पन्न कर करती हो। इसमें ऐसी कोई भी मर्दे जो अनुच्छेद 18.10 में सूचीबद्ध हैं और विवाद के विषय से संबंधित कोई संगत परिस्थितियां शामिल होती हैं और किसी भी विवादकारी पक्षकारों के साथ मौजूदा या विगत, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, वित्तीय, व्यैक्तिक, कारोबार या व्यावसायिक संबंध, पक्षकार, विधिक काउंसिल, प्रतिनिधि, गवाह या सह-मध्यस्थ शामिल होते हैं। मध्यस्थ को जैसे ही ऐसी परिस्थितियों की जानकारी होती है तुरंत इसका खुलासा किया जाएगा, और यह खुलासा सह-मध्यस्थ विवादकारी पक्षकारों और नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी यदि कोई हो, नियुक्ति करता हो, के समक्ष किया जाएगा। ऐसा खुलासा करने से न तो उन व्यष्टियों या निकायों की सूचना की स्वतंत्र रूप से जानकारी प्राप्त करने की क्षमता और न ही सार्वजनिक जानकारी के लिए उस सूचना का उपलब्ध होना मध्यस्थ को ऐसे खुलासा करने के निश्चयात्मक कर्तव्य से छूट दे सकता है। खुलासा करने की आवश्यकता है या नहीं इसके संबंध में संदेह का ऐसे खुलासा होने पर समाधान किया जाएगा।

18.3 इस करार के तहत नियुक्त माध्यस्थ को विवादकारी पक्षकार चुनौती दे सकता है:-

- (क) यदि तथ्य या परिस्थितियां विद्यमान हों जो किसी भी विवादकारी पक्षकार की दृष्टि से माध्यस्थ की हित टकराव से स्वतंत्रता, निष्पक्षता या आजादी के प्रति औचित्यपूर्ण संदेह उत्पन्न करती हों; या
- (ख) माध्यस्थ के कार्य करने में विफल होने या कानूनन अथवा वास्तव में माध्यस्थ के लिए अपने कार्य करना असंभव होने की स्थिति में,

परंतु उस पक्षकार को पंद्रह दिन के बाद ऐसी कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है: (i) माध्यस्थ द्वारा अनुच्छेद 18.2 के तहत किए गए खुलासे के जरिए संगत तथ्यों या परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने पर, या (ii) अन्यथा संगत तथ्यों या अनुच्छेद 18.3 के तहत चुनौती के लिए प्रासंगिक परिस्थितियों से अवगत होने पर, जो भी बाद में हो।

18.4 अनुच्छेद 17.3 के तहत विवादकारी पक्षकार, माध्यस्थ, जिसे चुनौती दी जाती है, अन्य माध्यस्थों और नियुक्तकर्ता प्राधिकारी को चुनौती का नोटिस दिया जाएगा। चुनौती के नोटिस में चुनौती के कारण बताए जाएंगे।

18.5 जब विवादकारी पक्षकार द्वारा माध्यस्थ को चुनौती दी गई है, तो सभी विवादकारी पक्षकारगण इस चुनौती से सहमत हो सकते हैं। माध्यस्थ भी, चुनौती के बाद, अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। किसी भी मामले में इसका निहितार्थ चुनौती के कारणों की वैधता स्वीकार करना नहीं है।

18.6 यदि चुनौती के नोटिस की तारीख से पंद्रह(15) दिन के भीतर विवादकारी पक्षकारगण चुनौती से सहमत नहीं होते या चुनौती दिया गया माध्यस्थ इस्तीफा नहीं देता, तो चुनौती देने वाला विवादकारी पक्षकार ऐसा करना जारी रख सकता है। ऐसे मामले में, यह चुनौती के नोटिस की तारीख से 30 दिन के भीतर अनुच्छेद 17.3 में यथा विनिर्दिष्ट नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा चुनौती पर निर्णय मांगेगा।

18.7 अनुच्छेद 17.3 के तहत यथा विनिर्दिष्ट नियुक्तकर्ता प्राधिकारी अनुच्छेद 18.3 के तहत दी गई चुनौती को स्वीकार करेगा यदि, वास्तविक पूर्वाग्रह के अभाव में भी, ऐसी परिस्थितियां हैं जो तीसरे पक्ष की दृष्टि से माध्यस्थ की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, हित टकराव से मुक्तिकी कमी, या अपने कर्तव्य करने की क्षमता में संदेह उत्पन्न कर सकती हैं।

18.8 किसी ऐसी स्थिति में जहां माध्यस्थता कार्यवाहियों के दौरान माध्यस्थ को बदलना होता है वहां एक प्रतिस्थानी माध्यस्थ की नियुक्ति की जाएगी या करार में दी गई व्यवस्था और माध्यस्थ नियमावली, जो नियुक्ति के लिए लागू हो, या प्रतिस्थापित किए जाने वाले माध्यस्थ की इच्छा का अनुसरण करते हुए चुना जाएगा। यह प्रक्रिया, प्रतिस्थापित किए जाने वाले माध्यस्थ की नियुक्ति होने, माध्यस्थता में विवादकारी पक्षकारद्वारा नियुक्ति करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहने या नियुक्ति में भाग लेने में विफल रहने के दौरान भी लागू होगी।

18.9 यदि किसी माध्यस्थ का प्रतिस्थापन होता है तो जब तक अन्यथा विवादकारी पक्षकारगण द्वारा सहमति न दी गई हो कार्यवाही उसी अवस्था से पुनः शुरू की जाएगी जहां प्रतिस्थापित माध्यस्थों ने अपना कार्य करना बंद कर दिया था।

18.10 माध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता अथवा हित टकराव से मुक्त होने के प्रति औचित्यपूर्ण संदेह निम्नलिखित कारकों के शामिल होने के कारण उत्पन्न होता है, यदि:

- (क) माध्यस्थ या उसके साथी या संबंधी का हित माध्यस्थ विशेष के परिणाम से जुड़ा हो;
- (ख) माध्यस्थ, नियुक्तकर्ता पक्षकार का कानूनी प्रतिनिधि/सलाहकार है या रहा हो अथवा मध्यस्थता आरंभ होने के पहले तीन (3) वर्ष में नियुक्तकर्ता पक्ष से सम्बद्ध हो;
- (ग) माध्यस्थ किसी एक विवादकारी पक्षकार के काउंसिल के रूप में उसी कानूनी फर्म में हो;
- (घ) माध्यस्थ किसी अन्य विवाद में एक विवादकारी पक्षकार के विधिक फर्म या काउंसिल में समवर्ती कार्य कर रहा हो;
- (ङ) माध्यस्थका फर्म वर्तमान में किसी एक विवादकारी पक्षकार को सेवाएं दे रहा हो या दी हों या एक किसी ऐसे पक्षकारसे सम्बद्ध हो, जिसमें से ऐसी फर्म को वित्तीय लाभ होता है;
- (च) माध्यस्थ ने नियुक्तकर्ता पक्षकार से या अपने काउंसिल से अपनी नियुक्ति के पहले गुणों की या विवाद के कार्यवाही संबंधी पहलुओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त की हो;
- (छ) माध्यस्थ निकाय का प्रबंधक, निदेशक या सदस्य हो अथवा या अन्यथा एक विवादकारी पक्षकार में शेरधारिता के कारण उसका इसी प्रकार का नियंत्रण प्रभाव है;
- (ज) मध्यस्थता किए जा रहे मामले में मुद्दों के संबंध में माध्यस्थ ने सार्वजनिक रूप से नियत स्थिति की वकालत की हो।

18.11 पक्षकारगण परस्पर सहमति से और अपनी संबंधित कार्यवाहियां पूरी होने के बाद इस करार से उत्पन्न होने वाले विवादों में लागू करने के लिए माध्यस्थों के लिए एक अलग आचार संहिता अपनाएंगे जो लागू मौजूदी नियमावली को प्रतिस्थापित कर सकती है या अनुपूरक बन सकती है। ऐसी संहिता ऐसे विषयों का समाधान कर सकती है जैसा कि खुलासा करने की बाध्यता, माध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता और गोपनीयता।

अनुच्छेद 19

माध्यस्थम संबंधी कार्यवाहियां

19.1 जब तक विवादकारी पक्षकार अन्यथा सहमत न हों तब तक कोई भी माध्यस्थ अधिकरण किसी ऐसे देश के भू-भाग में माध्यस्थम का आयोजन नहीं करेगा जो न्यूयॉर्क अभिसमय में कोई पक्षकार हो, जिसका चयन यूएनसीआईटीआरएएल माध्यस्थम नियम, यदि माध्यस्थम उन नियमों के अधीन हो, के अनुसार किया गया हो।

19.2 जब तक विवादकारी पक्षकारगण अन्यथा सहमत न हों तब तक माध्यस्थ अधिकरण बैठकों और सुनवाई के लिए स्थान तथा माध्यस्थम की विधि का निर्धारण

कर सकेगा। ऐसा करने में, माध्यस्थ अधिकरण विवाद से जुड़े पक्षकारों और माध्यस्थों की सुविधा, संबद्ध विषय की अवस्थिति, साक्ष्य की निकटता को ध्यान में रखेगा और और निवेश किए गए क्षेत्र पर विशेष ध्यान देगा।

19.3 साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामलों पर विचार करते समय, माध्यस्थ अधिकरण को ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा जिनसे बचाव पक्षकार के दावे निवेश किए गए क्षेत्र की विधि के तहत गोपनीयता या विशेषाधिकार संबंधी नियमों के अंतर्गत प्रकटन से संरक्षित हों।

अनुच्छेद 20 **मामूली दावों का अस्वीकरण**

20.1 अन्य आपत्तियों का निराकरण करने के संबंध में माध्यस्थ अधिकरण के प्राधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, माध्यस्थ अधिकरण विवादकारी निवेशक द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे के संबंध में बचाव पक्षकार द्वारा निम्न के संबंध में की गई किसी आपत्ति से संबंधित प्रारंभिक प्रश्न के रूप में निराकरण और अभिनिश्चय करेगा: (क) जो माध्यस्थ अधिकरण के क्षेत्राधिकार के दायरे के भीतर न हो, या (ख) प्रकट रूप से बिना कानूनी गुणावगुण वाला हो या जिसे कानूनी मामले के रूप में न पाया गया हो।

20.2 ऐसी आपत्ति माध्यस्थ अधिकरण के गठित किए जाने के पश्चात माध्यस्थ अधिकरण को यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाएगी, और किसी भी दशा में उस तारीख के बाद प्रस्तुत नहीं की जाएगी जो माध्यस्थ अधिकरण ने बचाव पक्षकार को अपना प्रति-मेमोरियल प्रस्तुत करने के लिए नियत की हो (या, माध्यस्थम के नोटिस में किसी संशोधन के मामले में, वह तारीख जो माध्यस्थ अधिकरण ने बचाव पक्षकार द्वारा संशोधन के संबंध में अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए नियत की हो)।

20.3 इस अनुच्छेद के अधीन कोई आपत्ति प्राप्त होने पर, माध्यस्थ अधिकरण गुणावगुण के आधार पर किन्हीं कार्यवाहियों को निलंबित करेगा, आपत्ति के प्रारंभिक प्रश्न पर विचार करने के लिए किसी अन्य प्रारंभिक प्रश्न पर विचार करने के लिए इसके द्वारा संस्थापित की गई किसी अनुसूची के अनुरूप कोई अनुसूची स्थापित करेगा तथा आपत्ति के संबंध में आधार बताते हुए निर्णय या पंचाट जारी करेगा। इस अनुच्छेद के अधीन किसी आपत्ति के संबंध में निर्णय लेने में, माध्यस्थ अधिकरण माध्यस्थम के नोटिस (या उसके किसी संशोधन) में किसी दावे के समर्थन में सही विवादकारी निवेशकर्ता के वास्तविक आरोपों को मानेगा। माध्यस्थ अधिकरण विवाद में शामिल न रहे किन्हीं प्रासंगिक तथ्यों पर भी विचार कर सकेगा।

20.4 माध्यस्थ अधिकरण अनुच्छेद 20.2 के अंतर्गत किए गए अनुरोध की प्राप्ति की तारीख के एक सौ पचास(150) दिनों के भीतर इस अनुच्छेद के अधीन पंचाट जारी करेगा। तथापि, यदि कोई बचाव पक्षकार सुनवाई का अनुरोध करता है तो माध्यस्थ अधिकरण निर्णय या पंचाट जारी करने के लिए तीस(30) दिनों की अवधि और ले सकेगा।

20.5 बचाव पक्षकार सक्षमता या गुणावगुण संबंधी किसी तर्क के रूप में किसी आपत्ति को केवल इसलिए माफ नहीं करता है क्योंकि प्रतिवादी पक्षकार ने कोई आपत्ति उठाई थी या नहीं उठाई थी या इस अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट समीचीन प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया था।

20.6 अनुच्छेद 20.2 या 20.3 के तहत प्रतिवादी पक्षकार द्वारा किसी प्रारंभिक आपत्ति पर निर्णय लेते समय माध्यस्थ अधिकरण, यदि आवश्यक हो, तो विद्यमान प्रतिवादी पक्षकार पर आपत्ति प्रस्तुत करने या उसका विरोध करने पर आई समुचित लागतें तथा एटोर्नीज के शुल्कों के संबंध में पंचाट दे सकेगा। यह निर्धारण करते समय कि क्या ऐसा कोई पंचाट अपेक्षित है, माध्यस्थ अधिकरण इस बात पर विचार करेगा कि क्या विवादकारी निवेशक द्वारा किया गया दावा या प्रतिवादी पक्षकार द्वारा की गई आपत्ति मामूली प्रकृति की है, और विवादकारी पक्षकारों को अपने मामले प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 21

माध्यस्थम संबंधी कार्यवाहियों में पारदर्शिता

21.1 गोपनीय सूचना के संरक्षण के संबंध में प्रयोज्य कानून के अध्यक्षीन, प्रतिवादी पक्षकार जनता को इस अध्याय के अंतर्गत विवाद से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराएगा:

- (क) लिखित अनुरोध और माध्यस्थम का नोटिस;
- (ख) विवाद से इतर पक्षकार द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों सहित, माध्यस्थ अधिकरण को प्रस्तुत क्षेत्राधिकार तथा गुणावगुण संबंधी तर्क और अन्य लिखित प्रस्तुतीकरण;
- (ग) सुनवाई की नकलें, जहां प्रयोज्य हो; और
- (घ) माध्यस्थ अधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्णय, आदेश और पंचाट।

21.2 साक्ष्य या मौखिक तर्क (“सुनवाईयां”) प्रस्तुत करने के लिए सुनवाईयां निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक की जाएंगी;

- (क) जहां कार्यवाहियों में गोपनीय सूचना को संरक्षित करना या प्रतिभागियों की सुरक्षा को संरक्षित करना आवश्यक हो वहां माध्यस्थ अधिकरण ऐसे संरक्षण की अपेक्षा के चलते सुनवाई के उस भाग की सुनवाई निजी तौर पर करने की व्यवस्थाएं करेगा।
- (ख) माध्यस्थ अधिकरण सुनवाईयां के लिए जनता की पहुँच को सुकर बनाने के लिए संभार संबंधी व्यवस्थाएं करेगा, इनमें वीडियो लिंकों के जरिए या ऐसे अन्य साधनों के जरिए जिन्हें यह उचित समझे, लोगों को एकत्र करना शामिल है। तथापि, माध्यस्थम संबंधी अधिकरण विवादकारी पक्षकारगण से परामर्श के पश्चात सभी सुनवाईयां या किसी भाग की सुनवाई निजी तौर पर आयोजित करने का निर्णय लेगा, जहां यह संभार

संबंधी कारणों, यथा जब परिस्थितियां किसी सुनवाई के लिए जनता की पहुँच से संबंधित किसी मूल व्यवस्था को अव्यवहार्य बना देती हैं, की वजह से आवश्यक हो जाता है।

21.3 इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया माध्यस्थ अधिकरण का पंचाट सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होगा, बशर्ते कि सूचना गोपनीय न हो। जहां कोई प्रतिवादी पक्षकार यह विनिश्चित करता है कि ऐसा करना जन हित में है और उस विनिश्चय को माध्यस्थ अधिकरण को अधिसूचित करता है वहां प्रस्तुत किए गए या माध्यस्थ अधिकरण द्वारा जारी किए गए अन्य सभी दस्तावेज सार्वजनिक तौर पर भी उपलब्ध होंगे, बशर्ते कि सूचना गोपनीय न हो।

21.4 विवाद से इतर पक्षकार माध्यस्थ अधिकरण को इस करार के निर्वचन के संबंध में मौखिक और लिखित निवेदन कर सकेगा।

अनुच्छेद 22

प्रमाण और अभिशासन संबंधी कानून का उत्तरदायित्व

22.1 इस करार का निर्वचन अनुवर्तन के उस उच्च स्तर के संदर्भ में किया जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून देशों के विकास और घरेलू नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में उन्हें प्रदान करता है।

22.2 विवादकारी निवेशक निम्न के संस्थापन का उत्तरदायित्व वहन करता है: (क) क्षेत्राधिकार; (ख) अनुच्छेद 9[कार्मिकों का प्रवेश और अवस्थान] या 10[पारदर्शिता] के अंतर्गत दायित्व के अलावा, इस करार के अध्याय II के अधीन किसी दायित्व की विद्यमानता; (ग) ऐसी बाध्यता का उल्लंघन; (घ) कि निवेश, या इसके निवेश के संबंध में निवेशक को उल्लंघन के परिणामस्वरूप वास्तविक तथा कल्पनातीत नुकसान हुआ हो; और (ङ) कि वे नुकसान पूर्वानुमानित थे तथा वे उल्लंघन के कारण ही हुए थे।

22.3 इस अध्याय के अधीन स्थापित किसी अधिकरण द्वारा इस करार के निर्वचन से संबंधित अभिशासन संबंधी कानून निम्नलिखित होगा: (क) यह करार; (ख) करारों के निर्वचन से संबंधित सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य सिद्धान्त, अंतर्राष्ट्रीय करारों के बीच अनुरूपता के अनुमान सहित, जिसके पक्षकारगण पक्षकार हैं; और (ग) घरेलू कानून, प्रतिवादी पक्षकार के क्षेत्र के कानून से संबंधित मामले।

अनुच्छेद 23

संयुक्त निर्वचन

23.1 इस करार के अनुसार पक्षकारगण द्वारा बाद में जारी किए गए इस करार की अनुप्रयोज्यता संबंधी विशिष्ट उपबंधों और निर्णयों के निर्वचन ऐसे निर्वचनों या निर्णयों के जारी होने पर इस अध्याय के अधीन संस्थापित अधिकरणों पर बाध्यकारी होंगे।

23.2 परम्परागत अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार, इस करार के निर्वचन या अनुप्रयोज्यता के बारे में पक्षकारों के अनुवर्ती करार और पद्धति के अन्य साक्ष्य इस करार के प्राधिकृत निर्वचन होंगे और इस अध्याय के अधीन माध्यस्थ अधिकरणों द्वारा उन्हें ध्यान में रखा जाएगा।

23.3 माध्यस्थ अधिकरण अपने स्वयं के विचार के अनुसार या प्रतिवादी पक्षकार के अनुरोध पर, इस करार के किसी ऐसे उपबंध के संयुक्त निर्वचन का अनुरोध कर सकेगा जो विवाद का विषय होगा। पक्षकार अनुरोध के साथ (60) दिनों के भीतर माध्यस्थ अधिकरण को अपने निर्वचन की घोषणा करने संबंधी किसी संयुक्त निर्णय को लिखित में प्रस्तुत करेंगे। अनुच्छेद 23.1 और अनुच्छेद 23.2 के तहत पक्षकारों के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यदि पक्षकार साठ (60) दिनों के भीतर माध्यस्थ अधिकरण को निर्णय प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो किसी पक्षकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से जारी किए गए किसी निर्वचन को विवादकारी पक्षकारों और माध्यस्थ अधिकरण को अग्रेषित कर दिया जाएगा, जो ऐसे निर्वचन को ध्यान में रखेंगे।

अनुच्छेद 24

विशेषज्ञ से संबंधित रिपोर्टें

लागू माध्यस्थम संबंधी नियमों द्वारा अधिकृत अन्य प्रकार के विशेषज्ञों की नियुक्ति के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के, और जब तक विवादकारी पक्षकार इसे मंजूर नहीं करते, तब तक माध्यस्थ अधिकरण ऐसी निबंधन और शर्तों, जिनपर विवादकारी पक्षकारगण सहमत हों, के अधीन विवादकारी पक्षकारगण द्वारा उठाए गए पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, तकनीकी या अन्य वैज्ञानिक मामलों से संबंधित किसी वास्तविक मुद्दे के संबंध में लिखित में अधिकरण को रिपोर्ट देने के लिए यह विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकेगा।

अनुच्छेद 25

पंचाट

25.1 पंचाट में इस संबंध में निर्णय शामिल होगा कि क्या प्रतिवादी पक्षकार से विवादकारी निवेशक और इसके निवेश तथा कानूनी आधार और इसके निर्णयों के कारणों के संबंध में इस करार के अधीन प्रदत्त किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

25.2 माध्यस्थम संबंधी माध्यस्थ अधिकरण बहुमत के आधार पर अपना निर्णय लेगा। ऐसा निर्णय विवादकारी दोनों पक्षकारगण पर बाध्यकारी होगा।

25.3 माध्यस्थ अधिकरण इस करार के अध्याय II के तहत दायित्वों के उल्लंघन के संबंध में केवल मौद्रिक क्षतिपूर्ति का पंचाट ही दे सकता है। मौद्रिक हर्जाने निवेशक या,

यथाप्रयोज्य, स्थानीय रूप से स्थापित उद्यम को हुए नुकसान से अधिक नहीं होंगे, जिसमें से राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों द्वारा पहले ही प्रदान किए गए किसी पूर्व हर्जाने या क्षतिपूर्ति को घटा दिया जाएगा। मौद्रिक हर्जानों की गणना के लिए, माध्यस्थ अधिकरण किसी संपत्ति के प्रत्यर्पण या उपाय के निरसन या आशोधन, या अन्य उपशमनकारी कारकों¹ को ध्यान में रखेगा।

25.4 माध्यस्थ अधिकरण किसी भी परिस्थिति में राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक या नैतिक प्रताड़ना या कोई व्यादेशार्थ राहत प्रदान नहीं कर सकेगा।

अनुच्छेद 26

पंचाटों का अंतिम रूप और प्रवर्तन

26.1 माध्यस्थ अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय विवादकारी पक्षकारों तथा मामला विशेष को छोड़कर और किसी पर लागू नहीं होगा और माध्यस्थ अधिकरण को भी इन सीमाओं का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए।

26.2 अनुच्छेद 26.3 के अध्यक्षीन, विवादकारी पक्षकार को बिना किसी बिलम्ब के निर्णय की अनुपालना करनी होगी।

26.3 विवादकारी पक्षकार अंतिम निर्णय लागू होने की अपेक्षा नहीं करेगा, जब तक कि:

(क) निर्णय आए हुए नब्बे(90) दिन न हो चुके हों लेकिन किसी भी विवादकारी पक्षकार ने निर्णय में संशोधन अथवा निराकरण की कार्यवाही शुरू नहीं की हो, अथवा

(ख) न्यायालय ने खारिज न कर दिया हो और संशोधन, अलग कर देने अथवा निराकरण हेतु आवेदन करने की अनुमति प्रदान न कर दी हो तथा अपील नहीं की गई हो।

26.4 प्रत्येक राज्य क्षेत्र में प्राधिकारी निर्णय को कानून के अनुसार अपने क्षेत्र में लागू करेंगे।

26.5 इस अध्याय के अंतर्गत पंचाट के प्रस्तुत मामले पर विचार किया जाएगा ताकिन्युयार्क अभिसमय के अनुच्छेद 1 के प्रयोजनार्थ व्यावसायिक संबंध अथवा लेनदेन पर विचार किया जा सके।

अनुच्छेद 27

¹उपशमन संबंधी कारकों में निवेश का चालू और विगत उपयोग, इसके अर्जन और प्रयोजन का इतिहास, निवेशक द्वारा अन्य साधनों से प्राप्त क्षतिपूर्ति, अराहतप्राप्त कोई नुकसान या हर्जाना जो निवेशक से पर्यावरण या स्थानीय समुदाय या जनहित और निवेशक के हितों में संतुलन की आवश्यकता के बारे में अन्य प्रासंगिक मान्यताओं को हुआ हो।

लागत

विवादकारी पक्षकारगण पंचाट की लागत को, माध्यस्थ शुल्क, व्यय, भत्तों तथा अन्यप्रशासनिक लागतों सहित, शेयर करेंगे। विवादकारी पक्षकारगण माध्यस्थ कार्यवाही में अपने अभ्यावेदन की लागत को भी वहन करेंगे। तथापि, माध्यस्थ अधिकरण अपने निर्णय में यह निर्देश दे सकता है कि संपूर्ण लागत अथवा लागत का बड़ा हिस्सा किसी विवादकारी पक्षकार द्वारा वहन किया जाएगा और यह निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों विवादकारी पक्षकारगण पर लागू होगा।

अनुच्छेद 28

अपील सुविधा

पक्षकारगण इस करार को लागू करने के संबंध में करार अथवा संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने के पश्चात संस्थागत कार्यविधि निर्धारित कर सकेंगे ताकि अपीलीय निकाय अथवा इसी प्रकार की व्यवस्था बनाई जा सके, जो अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णयों की इस अध्याय के तहत समीक्षा कर सके। इस करार में प्रावधानों की व्याख्या करने हेतु सुसंगति का प्रावधान करने के लिए ऐसे अपीलीय निकाय अथवा इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा सकती है। ऐसी व्यवस्था करने में पक्षकारगण, अन्य बातों के साथ, निम्नांकित मुद्दों को ध्यान में रख सकते हैं:

- (क) अपीलीय निकाय अथवा इसी प्रकार के तंत्र का स्वरूप एवं संरचना;
- (ख) ऐसे अपीलीय निकाय की समीक्षा की गुंजाइश एवं मानक;
- (ग) अपीलीय निकाय या इसी प्रकार के तंत्र की कार्यवाहियों की पारदर्शिता;
- (घ) अपीलीय निकाय अथवा इसी प्रकार के तंत्र द्वारा लिए गए निर्णयों का प्रभाव;
- (ङ.) अपीलीय निकाय अथवा इसी प्रकार के तंत्र द्वारा समीक्षा का माध्यस्थम नियमों, के साथ संबंध, जिनका चयन इस करार के अनुच्छेद 16.1 के अंतर्गत किया जाएगा; और
- (च) अपीलीय निकाय अथवा समान तंत्र द्वारा समीक्षा का माध्यस्थम निर्णयों के प्रवर्तन संबंधी विद्यमान घरेलू कानूनों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंध।

अध्याय V : पक्षकारगण के बीच विवाद निपटान

अनुच्छेद 29

पक्षकारगण के बीच विवाद

29.1 संबंधित पक्षकारगण के बीच विवाद:

- (क) इस करारनिर्वचन या इसकी अनुप्रयोज्यता, अथवा

(ख) क्या अनुच्छेद 35 के अंतर्गत अच्छी भावना के साथ परामर्श का अनुपालन किया गया,
जहां तक संभव हो, परामर्श या वार्ता के माध्यम से निपटान करना चाहिए,
जिसमें गैर-बाध्यकारी मध्यस्थता या अन्य तंत्र शामिल हो सकते हैं।

29.2 यदि पक्षकारगण के बीच विवाद शुरू होने से छः (6) माह के अंदर विवाद का निपटान नहीं हो सकता है तो इसे किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर अधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

29.3 ऐसे अधिकरण का गठन प्रत्येक मामले के लिए निम्नानुसार किया जाएगा: पंचाट के लिए अनुरोध किए जाने के दो महीनों के अंदर, प्रत्येक पक्षकार अधिकरण के लिए एक-एक सदस्य की नियुक्ति करेगा। तब वे दो सदस्य तीसरे राज्य के राष्ट्रिक का चयन करेंगे, जिसके दोनों पक्षकारों के अनुमोदन पर, अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। अध्यक्ष की नियुक्ति अन्य दो सदस्यों के चयन की तारीख से दो महीने के अंदर की जाएगी।

29.4 यदि अनुच्छेद 29.3 में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर आवश्यक नियुक्तियां नहीं की जाती हैं तो, कोई भी पक्षकार, किसी अन्य करार की अनुपस्थिति में, कोई आवश्यक नियुक्ति(यां) करने हेतु माध्यस्थम के स्थाई न्यायालय के महासचिव से अनुरोध कर सकता है।

29.5 अधिकरण बहुमत के आधार पर निर्णय लेगा। ऐसा निर्णय दोनों पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

29.6 माध्यस्थम के पक्षकारगणमाध्यस्थम की लागत को वहन करेंगे जिसमें माध्यस्थ शुल्क, खर्च, भत्ते और अन्य प्रशासनिक व्यय शामिल हैं। प्रत्येक पक्षकारमाध्यस्थ कार्यवाही में अपने अभ्यावेदन की लागत को वहन करेगा। तथापि, अधिकरण अपने निर्णय में यह निर्देश दे सकता है कि संपूर्ण लागत अथवा लागत का बड़ा हिस्सा पक्षकारगणमें से एक पक्षकार द्वारा वहन किया जाएगा और यह निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों पर लागू होगा।

29.7 अधिकरण अपनी सक्षमता से, विवादित पक्षकारगण के बीच हुए किसी करार के अध्यक्षीन सभी संबंधित प्रश्नों का निर्णय करेगा और अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

अध्याय VI विवेकसम्मत उपाय और अपवाद

अनुच्छेद 30 विवेकपूर्ण उपाय

इस करार में किसी अन्य उपबंध के होने के बावजूद, किसी देश के प्राधिकारियों को ऐसे निवेशकों, निक्षेपकों, पालिसी धारकों या प्रकृत या विधिक व्यक्तियों, जिनके लिए वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति करने वाली, या इसकी सत्यनिष्ठा और स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु कोई संस्था प्रत्ययी कर्तव्य के लिए उत्तरदायी हो, के हित रक्षण वाले उपायों सहित वित्तीय सेवा से जुड़े उपाय करने से विवेकसम्मत कारणों से नहीं रोका जाएगा। जहां ऐसे उपाय करार के उपबंधों से मेल नहीं खाएंगे, वहां उनका इस्तेमाल इस करार के अधीन प्रतिबद्धताओं या बाध्यताओं से बचने वाले रास्ते के रूप में नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 31 सामान्य अपवाद

31.1 इस करार में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जो राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों को गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर आमतौर पर प्रयोज्य उपायों को अपनाने अथवा लागू करने से रोकता हो जो निम्न के लिए आवश्यक हैं²:

- (क) जनता के नैतिक मूल्यों की रक्षा करना और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना;
- (ख) मानव, पशु और पेड़-पौधों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना;
- (ग) उन कानूनों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करना जो इस करार के उपबंधों के असंगत नहीं हैं;
- (घ) सजीव और निर्जीव प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण करना;
- (ङ) कलात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व की राष्ट्रीय निधि या स्मारकों की सुरक्षा करना।

31.2 इस करार का कोई भी अंश मौद्रिक एवं संबंधित ऋण नीतियों अथवा विनिमय दर नीतियों के अनुसार राज्य क्षेत्र के केंद्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकरणद्वारा लिए गए आम प्रयोग के गैर-भेदभावपूर्ण उपायों के संबंध में लागू नहीं होगा। यह पैराग्राफ अनुच्छेद 6 [अंतरण]के तहत किसी पक्षकार के अधिकारों और बाध्यताओं को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 32 सुरक्षा संबंधी अपवाद

32.1 इस करार में उल्लिखित किसी भी अंश का निम्नलिखित अर्थ नहीं होगा:

²यह विचार करते हुए कि क्या कोई उपाय "आवश्यक" है, अधिकरण इस पर ध्यान देगा कि क्या राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों के पास कम प्रतिबंधित वैकल्पिक युक्तिसंगत उपाय उपलब्ध नहीं था।

- (क) राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों से ऐसी कोई सूचना प्रदान करनेकी अपेक्षा करना, जिसके प्रकटन को यह आवश्यक सुरक्षा हितों के विरुद्ध समझता हो; और
- (ख) राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों को ऐसी कोई भी कार्यवाही करने से रोकना जिसे यह अपने आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझता हो जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं किंतु जो इन तक ही सीमित नहीं हैं:
- (i) विखंडनीय या संयोजनीय सामग्री या जिन सामग्रियों से वे व्युत्पन्न हों, उनसे संबंधित कार्रवाई;
- (ii) युद्ध या आपातकाल स्थिति में घरेलू और अन्य युद्धोपकरणों के परिवहन या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित कार्रवाई;
- (iii) हथियारों, गोला-बारूद एवं युद्धोपकरणों और ऐसी वस्तुओं और सामग्रियों का परिवहन जो सैनिक स्थापना को आपूरित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया गया हो, से संबंधित कार्रवाई;
- (iv) आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा संबंधी कार्रवाई जिसमें संचार, विद्युत और जल अवसंरचना शामिल है जो जानबूझकर ऐसी अवसंरचना को निष्क्रिय या खराब करने के उद्देश्य से किए जाते हों;
- (v) कोई नीति, आवश्यकता या उपाय के लिए जिसमें कंपनी, कार्मिक या उपकरण बिना किसी सीमा के सुरक्षा क्लियरेंस की अपेक्षा शामिल है।

(ग) राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अनुरक्षण के अनुसार दायित्वों का पालन करने से रोकना।

32.2 प्रत्येक पक्षकार जहां तक संभव हो, अनुच्छेद 32.1 के अंतर्गत किए गए उपायों और उनके समापन के बारे में दूसरे पक्षकार को सूचित करेगा।

32.3 इस अध्याय में निहित किसी भी बात का अर्थ इस तरह नहीं लगाया जाएगा जिससे राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों को इस करार के लाभ ऐसे दूसरे राज्य क्षेत्र के निवेशक को देने पड़ें जहां राज्य क्षेत्र का प्राधिकारी किसी विधान अथवा विनियमों में ऐसे उपाय अपनाता है अथवा अनुरक्षित करता है जिन्हें वह राज्य क्षेत्र-इतर अथवा राज्य क्षेत्र-इतर को निवेशक के संबंध में अपने आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक समझता है जिनका उल्लंघन अथवा भंग किया जाना समझा जाएगा यदि इस अध्याय के लाभ ऐसे न्यायिक व्यक्ति अथवा इसके निवेशों को प्रदान किए जाएं।

32.4 इस अनुच्छेद की व्याख्या अनुच्छेद, जो कि इस करार का अभिन्न हिस्सा होगा, में स्थापित सुरक्षा अपवादों पर पक्षकारों की सहमति के अनुरूप की जाएगी।

अध्याय- VII: अंतिम प्रावधान

अनुच्छेद 33

अन्य करारों के साथ संबंध

33.1 किन्हीं अन्य करारों के अंतर्गत यह करार अथवा इसके अंतर्गत की गई कार्रवाई उन पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित नहीं करेंगे जिनके वे पक्षकार हों।

33.2 पक्षकारगण के बीच अन्य द्विपक्षीय करारों और इस करार के बीच संबंधों अथवा बहुपक्षीय करार जिसमें दोनों पक्षकारगण उसके अंग हों, के संबंध में किसी विसंगति या प्रश्न को करारों के कानून पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों के अनुरूप हल किया जाएगा।

अनुच्छेद 34

हितों का निषेध

इस करार के अध्याय IV के अनुरूप किसी भी राज्य क्षेत्र का प्राधिकारी किसी भी समय माध्यस्थ कार्यवाहियां संस्थापित करने के बाद भी इस करार के हितों को निम्न के लिए निषेध कर सकता है:-

- (क) निवेशक के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर-पक्षकार राज्य क्षेत्र अथवा निषेध प्राधिकारी के राज्य क्षेत्र; अथवा
- (ख) कोई निवेशक अथवा निवेश जो कि करार में दिए गए विवाद समाधान तंत्र से संपर्क के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ स्थापित या पुनर्निर्मित किया गया हो।

अनुच्छेद 35

विचार-विमर्श और आवधिक समीक्षा

35.1 कोई भी पक्षकार व्याख्या, आवेदन, कार्यान्वयन, सम्पादन अथवा अन्य किसी विषय सहित संबंधित किसी मुद्दे पर सद्भाव परामर्श से निवेदन कर सकता है, और अन्य पक्षकार तुरंत सहमत होगा, परंतु यह निम्न तक सीमित नहीं होगा।

- (क) इस करार के कार्यान्वयन की समीक्षा;
- (ख) इस करार की व्याख्या अथवा अनुप्रयोज्यता की समीक्षा करना;
- (ग) विधिक सूचना का आदान-प्रदान करना; और
- (घ) इस करार के अध्याय-IV के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विवादों; अथवा
- (ङ) निवेश से उत्पन्न होने वाले अन्य विवादों का समाधान करना।

35.2 इस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श को आगे बढ़ाने के लिए पक्षकारगण ऐसी कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं जिसका निर्णय वे संयुक्त रूप से लें; जिसमें इस करार के अध्याय IV अथवा अध्याय V के अंतर्गत प्रयोज्य विवेचन नियमावली को अनुपूरित करते हुए नियमावली बनाना और अपनाना, इस करार की बाध्यकारी व्याख्याएं जारी करना, तथा इस करार की प्रभावशीलता को सुधारने के लिए संयुक्त उपाय अपनाना शामिल हैं।

35.3 पक्षकार इस करार के लागू होने के बाद, इस करार के प्रचालन और प्रभावशीलता के परामर्श और समीक्षा हेतु प्रत्येक पांच (5) वर्षों के बाद बैठक करेंगे।

अनुच्छेद 36

समन्वयन तंत्र

36.1 पक्षकारगण निवेशकों और उनके निवेशों से संबंधित किन्हीं घटनाओं या कार्यकलापों के निराकरण में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकरणोंसे प्रतिनिधिगण को नामनिर्दिष्ट करते हुए समन्वयन तंत्र स्थापित करेंगे।

36.2 ऊपर के पैराग्राफ में उल्लिखित ऐसी किन्हीं घटनाओं या कार्यकलापों की सूची में, अपने संबंधित पक्षकार को निवेशक द्वारा अनुरोध किए जाने पर, ऐसा पक्षकार समन्वयन तंत्र की बैठक ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के तीस (30) दिन के अंदर, समुचित ढंग से, कराएगा ताकि ऐसी घटनाओं या कार्यों का निराकरण किया जा सके।

अनुच्छेद 37

संशोधन

37.1 यह करार किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है। अनुरोधकर्ता पक्षकार को वे कारण स्पष्ट करते हुए, जिनकी वजह से संशोधन किया जा रहा है, लिखित में अपना अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। अन्य पक्षकार प्रस्तावित संशोधन के बारे में अनुरोधकर्ता पक्षकार के साथ परामर्श करेगा तथा अनुरोध का उत्तर लिखित में होगा।

37.2 यह करार उस सीमा तक हर समय स्वतः ही संशोधित माना जाएगा जहां तक पक्षकारगण सहमत हुए हैं। इस अनुच्छेद के अनुसरण में करार में संशोधन के लिए कोई भी करार, चाहे वह एकल लिखित प्रपत्र हो अथवा दस्तावेजों के आदान-प्रदान के जरिए हो, लिखित में होना चाहिए। ये संशोधन इस करार के अध्याय IV अथवा अध्याय V के अंतर्गत गठित अधिकरणों के लिए बाध्यकारी होंगे तथा अधिकरणों का कोई भी पंचाट इस करार के सभी संशोधन के अनुरूप होना चाहिए।

अनुच्छेद 38

प्रवर्तन, अवधि और समापन

38.1 यह करार पक्षकारगण के बीच ऐसे पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा प्रवृत्त होगा जिनमें इस करार के लिए उनकी अनिवार्य आंतरिक प्रक्रिया की पूर्णता की सूचना एक-दूसरे को दी गई हो।

38.2 यह करारदस (10) वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा और उसके बाद व्यपगत हो जाएगा यदि पक्षकार लिखित में स्पष्ट रूप से इसके लिए सहमत नहीं हो जाते कि इसको नवीकृत किया जाएगा। यह करार लागू होने के बाद किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है यदि कोई भी पक्षकार अन्य पक्षकार को इस करार को समाप्त करने के आशय से बारह (12) महीने पहले लिखित में पूर्व नोटिस देता है। यह करार बारह महीने (12) की अवधि बीतते ही समाप्त हो जाएगा।

38.3 उस तारीख से पहले किए गए निवेशों के संदर्भ में, जब से इस करार का समापन प्रभावी हो जाता है, इस करार के उपबंध आठ (8) वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

में होना चाहिए। ये संशोधन इस करार के अध्याय IV अथवा अध्याय V के अंतर्गत गठित अधिकरणों के लिए बाध्यकारी होंगे तथा अधिकरणों का कोई भी पंचाट इस करार के सभी संशोधन के अनुरूप होना चाहिए।

अनुच्छेद 38 प्रवर्तन, अवधि और समापन

38.1 यह करार पक्षकारगण के बीच ऐसे पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा प्रवृत्त होगा जिनमें इस करार के लिए उनकी अनिवार्य आंतरिक प्रक्रिया की पूर्णता की सूचना एक-दूसरे को दी गई हो।

38.2 यह करारदस (10) वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा और उसके बाद व्यपगत हो जाएगा यदि पक्षकार लिखित में स्पष्ट रूप से इसके लिए सहमत नहीं हो जाते कि इसको नवीकृत किया जाएगा। यह करार लागू होने के बाद किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है यदि कोई भी पक्षकार अन्य पक्षकार को इस करार को समाप्त करने के आशय से बारह (12) महीने पहले लिखित में पूर्व नोटिस देता है। यह करार बारह महीने (12) की अवधि बीतते ही समाप्त हो जाएगा।


38.3 उस तारीख से पहले किए गए निवेशों के संदर्भ में, जब से इस करार का समापन प्रभावी हो जाता है, इस करार के उपबंध आठ (8) वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

अधोहस्ताक्षरित के साक्ष्य में, जो इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत है, इस करार पर हस्ताक्षर किए गए।

ताइपेई में 18 दिसंबर 2018 को हिन्दी, अंग्रेजी तथा चीनी भाषाओं में हस्ताक्षर किए गए। सभी पाठ समान रूप से प्राधिकृत हैं।

निर्वचन में कोई अंतर होने पर, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

महानिदेशक
ताइपेई में भारत ताइपेई संघ



प्रतिनिधि
भारत में ताइपेई आर्थिक और
सांस्कृतिक केंद्र



अनुबंध: सुरक्षा संबंधी अपवाद

इस करार के अनुच्छेद 32 [सुरक्षा अपवाद] की व्याख्या और/अथवा कार्यान्वयन के संदर्भ में पक्षकार निम्नलिखित सहमति की पुष्टि करते हैं:

(क) अनुच्छेद 32.3 में उल्लिखित उपाय वे उपाय हैं जहां उपायों को अधिरोपित करने वाले किसी पक्षकार के राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों का आशय अथवा आपत्ति अपने सुरक्षा संबंधी आवश्यक हितों का संरक्षण हैं। ये उपाय अभेदमूलक आधार पर अधिरोपित किए जाएंगे तथा ये इसके किसी भी विधान अथवा विनियम में पाए जा सकते हैं:

(i)आईटीए के मामले में अनुच्छेद 32.3 में उल्लिखित प्रयोज्य उपाय फिलहाल विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत तैयार किए गए विनियमों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में निर्धारित किए गए हैं और आईटीए, अन्य पक्षकार के अनुरोध पर, संबंधित उपायों के बारे में सूचना प्रदान करेगा;

(ii)टीईसीसी के मामले में अनुच्छेद 32.3 में उल्लिखित प्रयोज्य उपाय फिलहाल विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत तैयार किए गए विनियमों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में निर्धारित किए गए हैं और टीईसीसी, अन्य पक्षकार के अनुरोध पर, संबंधित उपायों के बारे में सूचना प्रदान करेगा।

(ख) जहां राज्य क्षेत्र के प्राधिकारी बचाव के रूप में यह कहते हैं कि अभिकथित आचरण इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों का उल्लंघन है और अनुच्छेद 32[सुरक्षा अपवाद]द्वारा संरक्षित इसके आवश्यक सुरक्षा हितों के बचाव के लिए है, सुरक्षा को ध्यान में रखकर ऐसे राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियोंद्वारा लिया गया कोई भी निर्णय और किसी भी समय अनुच्छेद 32[सुरक्षा अपवाद]को लागू करने का इसका निर्णय, चाहे वह माध्यस्थ कार्यवाहियां शुरू होने के पहले या बाद में हो, अन्यायपूर्ण होगा। यह इस करार के अध्याय IV अथवा अध्याय V के अंतर्गत गठित किसी माध्यस्थ अधिकरण के लिए नहीं होगा, वहां भी जहां माध्यस्थ कार्यवाहियां हानि और अथवा/मुआवजे के लिए किसी दावे के आकलन अथवा ऐसे अधिकरण से संबंधित अन्य मुद्दों के अधिनिर्णय से संबंधित हों।